राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 121/2012/बीकानेर.

मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी, खाजूवाला, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ......अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .... प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/03/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 140/आरवेट/बीकानेर/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.5.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.6.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अदम पैरवी में खारिज किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 4.4.2008 को बशीर रोड़, शेरगढ़ में वाहन संख्या आर.जे.07/जीए–3378 को चैक किये जाने पर वाहन में सरसों परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने उक्त माल मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी, खाजूवाला (अपीलार्थी) के यहां से लदान करना एवं बठिण्डा (पंजाब) ले जाना जाहिर किया। माल से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 1021 दिनांक 3.4.2008 प्रस्तुत की गई। इसके अलावा बिल/इन्वॉयस एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान अनुसार वाहन में 160 बोरी सरसों परिवहनित की जा रही थी। बिल्टी में 130 बोरी अंकित पायी गयी तथा उक्त माल काश्तकारों का होने संबंधी सरपंच के प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र में 107 बोरी होना बताया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा उक्त माल काश्तकारों का होने के विषय में गठित कमेटी ने माल काश्तकारों का ना होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहन किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी ने वेट

लगातार..............2

अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 81,600/— एवं वैट रूपये 10,880/— सहित कुल रूपये 92,480/— की मांग आदेश दिनांक 21.6.2008 से सृजित की। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2011 से अदम पैरवी में खारिज किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज किये जाने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इसके अलावा अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर विचारण नहीं किया गया। अग्रिम कथन किया कि अधिकृत प्रतिनिधि की गलती के लिये अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर जुर्माना (Cost) लगाई जा सकती थी, लेकिन एकतरफा अपील निष्पादन नहीं करना चाहिये था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई दिनांक नोट करवाये जाने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि विवादित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2011 से पूर्व भी अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 1.6.2010 से अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 1.6.2010 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 28.4.2010 को आगामी तारीख पेशी अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. एल. हर्ष को नोट करवाई गई थी, इसके बावजूद नियत तारीख पेशी पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 1.6.2010 से अपील अदम पैरवी में खारिज की गई।

लगातार..............3

इसके पश्चात अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17.6.2010 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया। तत्पश्चात विवादित आदेश दिनांक 18.5.2011 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 31.3.2011 को भी अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी तारीख पेशी 18.5.2011 नोट करवाई गई, किन्तु दिनांक 18.5.2011 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 18.5.2011 को अपील अदम पैरवी में खारिज की है।

इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित नोटिस अपीलार्थी द्वारा प्राप्त नहीं किये गये, बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील करवाया गया। सक्षम अधिकारी के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा बार–बार समय चाहा गया एवं प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किया गया।

कर बोर्ड के स्तर पर भी अपीलार्थी की वर्तमान अपील, आदेश दिनांक 5.7.2013 से अदम पैरवी में खारिज की गई है, जिसे अपीलार्थी की प्रार्थना पर आदेश दिनांक 13.8.2013 से रेस्टोर किया गया है।

उक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई है। साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क तथ्यों से परे है कि अपीलीय अधिकारी ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपील को अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित आदेश दिनांक 18.5.2011 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 31.3.2011 को अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी तारीख पेशी नोट करवाई गई थी, आदेशिका पर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक का यह कथन पूर्णतया बलहीन है कि अपीलार्थी को सूचित किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण के गुणावगुण पर भी अपीलार्थी की अपील बलहीन पायी जाती है। वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा विवादित माल काश्तकारों का होने सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा गठित कमेटी, जिसमें एक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वाणिज्यिक कर निरीक्षक सदस्य थे, ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.4.2008 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि परिवहनित माल काश्तकारों का ना

लगातार..............4

होकर अपीलार्थी फर्म से ही भरा गया है। जिन काश्तकारों रामस्वरूप व पारसमल पुत्रान बंशीलाल ने उक्त माल अपना होना बताया है, उनकी कृषि भूमि का क्षेत्रफल 17 बीघा 1 बिस्वा पाया गया, जिसमें अधिकतम 35 क्विंटल सरसों ही हो सकती है, जबकि वाहन में 107 क्विंटल सरसों परिवहनित किया जाना पाया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त काश्तकारों के खेतों में सरसों काटी जाकर वहीं पड़ी हुई पायी गयी। इस प्रकार विवादित माल रामस्वरूप व पारसमल (काश्तकारों) का नहीं होना पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि रामस्वरूप व पारसमल के पिता श्री बंशीलाल ही अपीलार्थी फर्म मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर हैं, जहां से, माल प्रभारी के बयान अनुसार, परिवहनित माल लदान किया गया है। यह भी पाया गया कि विवादित ट्रांसपोर्ट कम्पनी संजय रोड़लाईन्स अस्तित्व में ही नहीं है, बल्कि संजय अपीलार्थी फर्म के प्रोपराईटर बंशीलाल का पुत्र है। जिसके द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से बिना दस्तावेज माल का परिवहन किया जा रहा था एवं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी पूर्णतः असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया। ऐसी स्थिति में बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी की अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 18.5.2011 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20/03/14

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य